



पुस्तकालय - 2286709
2286710

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

गद वेतना केन्द्र, 10 ज्वाला मार्ग, लखनऊ-226001

०३/०३/१५

दिनांक: २५ अक्टूबर, २०१५

पत्रांक: ४९८७/ १४७ / एक / २०१४-१५
सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उ०प्र०।

विषय:- सूडा द्वारा तैनात कार्यरत कर्मियों के वेतन से भविष्य निधि अंशदान की कटौती किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया अभिकरण के पत्र सं० ९२९/ १४७/ एक/ २००६-०७टी.सी दिनांक २१ जुलाई.२००८ का संन्दर्भ लेने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपसे अनुरोध किया गया था कि कर्मचारियों के मूल वेतन में हगाई भत्ता को जोड़कर अधिक होने पर केवल ₹०६५००.०० पर १२ प्रतिशत कर्मचारी अंशदान एवं १२ प्रतिशत नियोक्ता अंशदान एवं १.६१ प्रतिशत प्रशासनिक व्यय सहित ड्राफ्ट बनवाकर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सरकारी गजट के अनुसार अभिकरण की शासी निकाय में माह फरवरी, २०१५ से कर्मचारी भविष्य निधि कटौती निम्न विवरणानुसार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

क्रमांक	वेजेज	कर्मचारी अंशदान	कर्मचारी के वेतन से अतिरिक्त कटौती	नियोक्ता अंशदान	प्रशासनिक व्यय
१	मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता मिलाकर अधिक होने पर केवल ₹० १५०००.०० पर ही	१२ प्रतिशत	१.१६ प्रतिशत	१२ प्रतिशत	१.६१ प्रतिशत
२	मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता मिलाकर ₹० १५०००.०० से कम होने पर	१२ प्रतिशत	कटौती नहीं की जायेगी	१२ प्रतिशत	१.६१ प्रतिशत

कृपया आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से कटौती कर उक्त विवरण के अनुसार ही अंशदान उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मवदीय

(श्रीप्रकाश सिंह)
निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

१. समस्त परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०।
२. समस्त परियोजना अधिकारी / सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०।

(श्रीप्रकाश सिंह)
निदेशक